

11-08-25

पत्रावली वैश ड्रई। वकील वादी या वादी स्वैप  
उपस्थित नहीं। बार-बार अपाज लगाने पर भी  
उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का यह वादपत्र अदम  
पैरवी- अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज  
किया जाता है। पत्रावली बंद तरीके तकमील  
होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय  
में सुनाया गया।



(सुनीलकुमार-चौहान)

R.A.S.